न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 03/2009

1 कानिया पुत्र गोपाल।
2 मु0 दड़की बेवा चौथु।
3 नागर पुत्र चौथु।
4 बीरबल पुत्र रेखला समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी भागचन्द वाली तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 वासुदेव पुत्र चिमनलाल।
2 गणपत पुत्र चौथु समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी भागचन्द वाली तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14.09.1998 न्यायालय जिलाधीश नवलगढ़ मुकदमा वासुदेव बनाम कानिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मुकदमा नम्बर 44/1998

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 10.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 44/1998 मे पारित निर्णय दिनांक 14.09.1998 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 से अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 तथा तहसीलदार नवलगढ़ को पक्षकार बनाकर भूमि खसरा नम्बर पुराना 424/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा बारानी पुख्ता भूमि वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1986 को अपीलांट नम्बर 1 से 4 व रेस्पोडेंट नम्बर 2 से क्रय करना बतलाकर अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु दावा किया और यह दावा दिनांक 18.09.1997 को न्यायालय में पेश किया गया और इस मुकदमे में दिनांक 15.12.1997 को अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 के खिलाफ झुठी चस्पान्दगी से तामील होना बतलाकर एक तरफा कार्यवाही का आदेश करवाकर दिनांक 16.03.1998 को रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपने हक में निर्णित व डिक्री करवा लिया जिसका अपीलांटस को कोई ज्ञान नहीं हुआ। इसका निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 05.06.1998 को पटवारी हल्का नवलड़ी द्वारा बतलाये जाने पर हुआ जिस पर अपीलांटस व रेस्पोडेंट नम्बर 2 ने तुरन्त अपने खिलाफ किये गये निर्णय व डिक्री को मनसुख करवाने हेतु दिनांक 11.06.1998 को न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन पत्र पेश किया, जिसको अदालत मातहत ने दिनांक 14.09.1998 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सबूत का मौका दिये बिना ही इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जबकि अदालत को साक्ष्य लेखबद्व किया जाना चाहिए था इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को बिना अवसर दिये जो आदेश पारित किया है वह खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट के बाबत जो न्यायालय ने सम्मन की तामील को प्रोपर ढ़ंग से मानकर एकतरफा कार्यवाही की गई थी उसको सही मानकर आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का आवेदन पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। सम्मन चस्पादंगी के लिए आदेश 5 नियम 2 सीपीसी में स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि सम्मन के साथ अगर दावे के मजमून की नकल नही चस्पा की गई है तो वह सर्विस ऑफ सम्मन नहीं माना जायेगा और न ही उसको तामील की परिधि में लाया जा सकता है। चस्पांदगी की रिपोर्ट पर कहीं भी अंकित नही है कि अपीलांटस के किधर झांकते और किस और के दरवाजे झांटे पोली पर चस्पांदगी की गई इसलिए इसके अभाव में तामील कुनिन्दा की स्वतः ही झुठी रिपोर्ट है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांटस को पुनः सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील सम्यक रूप से हुई है। विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 के आवेदन में तामील की कार्यवाही की पुन जांच कर विचाराधीन आदेश से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई भूल नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की दावे की आदेशिका में कही भी यह अंकित नही है कि अपीलांट की तामील चस्पांदगी से करवाने के आदेश दिये जाते है। इसके अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा चस्पांदगी से तामील मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश विधि सम्मत नही माने जा सकते है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में भी इस तथ्य का कोई विवेचन नही किया गया है अपितु सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

किया गया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन आदेश को न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन आदेश एवं मूलवाद संख्या 141/1997 वासुदेव बनाम कानिया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.1998 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर